

दिनांक

फर्द अहकाम

22.7.21

वादी एवं वादी वकील द्वारा मूल दावा Not-  
Press कर खारिज कर लिखा थी इस प्रार्थना  
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के मुकदमे को भी  
Not-Press कर खारिज करने का वचन  
कर अपने हस्ताक्षर किये। अतः प्रार्थनापत्र  
अस्थाई निषेधाज्ञा Not-Press में खारिज  
किया जाता है पत्रावली फ़ैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल  
दफ्तर हो। दावा पत्रावली के साथ लिंक  
रहा

(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपसहस्र अधिकारी टोडाभीम  
जिला-करीली

Not Press  
अस्थाई निषेधाज्ञा